अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

15/2010/223 मु0 केसर बनाम महावीर व अन्य

तारीख पेशी	2010/00015 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर अजीत सिंह - 2 श्री वी.पी. सिंह राजावत श्री M.K. 1/2 4A.	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
01.04.21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 हेतु पेश हुई । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2007 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश की गई है जिसमें अप्रार्थीगण ने विवादित आराजियात प्रार्थीगण के पिता से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 को क्रय करना बताते हुए घोषणा का वाद पेश किया था । तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 को प्रार्थीगण ने सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है तथा प्रार्थीगण का उक्त वाद एकतरफा में डिकी किया जाकर तथाकथित विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जा चुका था जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही की गई है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील एवं उससे संबंधित मूल राजस्व वाद का निर्णय तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 की वैधता पर निर्भर करता है तथा विक्रय पत्र की वैधता का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है । चूंकि प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में वाद की विषयवस्तु एवं पक्षकारान समान है तथा कॉज ऑफ एक्शन का सब्सटेन्स भी एक ही है ऐसी स्थिति में दो भिन्न-भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों से वाद बाहुल्यता एवं अनावश्यक मुकदमेंबाजी बनी हुई है । चूंकि प्रस्तुत अपील एवं उससे संबंधित मूल वाद का निर्णय पूर्ण रूप से सिविल न्यायालय के निर्णय पर आधारित है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील व उससे संबंधित मूल वाद की सुनवाई एवं अग्रिम कार्यवाही को प्रोसिडिंग की वर्तमान स्थिति पर, ताफैसला निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय स्थगित किया जाना न्यायहित में उचित होगा । अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर प्रस्तुत अपील की प्रोसिडिंग को आज की स्थिति में रखते हुए अपील की सुनवाई स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 816 रकबा 22-8-00 भूमि ग्राम सांप्रोदा तहसील नसीराबाद में स्थित है के खातेदार रामकरण एवं रिद्धकरण पुत्रगण बिरदा जाति कुम्हार के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 को प्रतिफल की राशि प्राप्त कर गुलाबंचद पुत्र मूलचंद जाति महाजन जो आवेदनकर्ता के दादा कि जिन्हें बैचान कर कब्जा संभला दिया गया था । अपीलाधीन भूमि के संदर्भ मे राजस्व वाद संख्या 16/2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष महावीर बनाम केसर व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय व डिकी दिनांक 31.12.2007 के अनुसार खातेदार रामकरण व रिद्धकरण के स्थान पर खातेदार महावीर व राधेश्याम पुत्रगण गुलाबचंद को घोषित किया गया है जिसमें महावीर आवेदनकर्ता के पिता का स्वर्गवास हो चुका है । विवादित भूमि के संदर्भ में एक अन्य दीवानी वाद संख्या 56/2008 केसर बनाम महावीर व अन्य जो कि उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने के पश्चात्	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

15/2010/223 मुकेसर v/s महावीर व अन्य

लगातार

न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नसीराबाद के समक्ष दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण महावीर व राधेश्याम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2009 को पारित करते हुए पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया गया जिसकी जानकारी होने पर दीवानी न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नसीराबाद के समक्ष दीवानी वाद संख्या 56/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2009 को निरस्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नसीराबाद द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 12.1.2011 को स्वीकार किया जाकर न्यायालय के द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2009 को निरस्त कर दिया गया है जिससे दीवानी वाद विचाराधीन है । ऐसी अवस्था में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील तथा दीवानी न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद, जो कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र को चुनौती दिये जाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, दोनों प्रकरणों में अनुतोष भिन्न–भिन्न है । ऐसी अवस्था में उपरोक्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 के प्रावधान उक्त अपील में लागू नहीं होते है । अधी0न्याया0 द्वारा विवादित के संबंध में निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2007 को ही पारित की गई है जिसके विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है इस कारण धारा 10 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते है । अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । रेस्पो0/वादीगण ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात बाबत् वाद पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात रेस्पो0/वादीगण के पिता गुलाबचंद ने अपीलांटस के पति/पिता रिद्धकरण से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 को क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था । गुलाबचंद के देहांत के उपरांत वादीगण/रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण दर्ज नहीं होने से विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने अन्यंत्र विक्रय करने पर आमादा है । अतः वादीगण/रेस्पो0 को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2007 को वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर वादीगण/रेस्पो0 को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2007 के विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने हस्तगत अपील पेश की है ।

अपीलांटस/वादीगण ने रेस्पो0 के पिता गुलाबचंद के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सिविल जज (क.ख.)एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद के न्यायालय में वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम सी0पी0सी0 के तहत पेश किया जिसे सिविल न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.12.2009 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार कर रेस्पो0 के पिता गुलाबचंद के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 को नगण्य व शून्य घोषित किया है । विद्वान सिविल न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 ने मान0 सिविल न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसे मान0 सिविल न्यायालय ने दिनांक 12.1.2011 को स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2009 को निरस्त कर दिया अर्थात् विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 को निरस्त करने के संबंध में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

15/10/223 मु.केसर v/s महावीर

लगातार

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 की वैधता के संबंध में सिविल न्यायालय में पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है । अधी0न्याया0 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 के आधार पर डिक्री किया गया है । हस्तगत अपील का मुख्य आधार विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 है जिसकी वैधता के निर्धारण से पूर्व अपील में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः हम अपील की कार्यवाही को सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 की वैधता के संबंध में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद के निर्णय तक स्थगित किया जाना उचित समझते है । धारा 10 जा0दी0 में यह प्रावधान किया गया है कि :- Stay of suit,-No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, of between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in jurisdiction to grant the relief claimed or in any Courts beyond the limits of established or continued by and having like jurisdiction or before.

प्रस्तुत अपील का निर्णय विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 की वैधता पर निर्भर है तथा विक्रय की पत्र की वैधता का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है । ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 11.12.1980 की वैधता के निस्तारण से पूर्व उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं समझते है ।

अतः अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील संख्या 2010/00015 बउनवान मु0 केसर बनाम महावीर में अपील की कार्यवाही सिविल जज (क.ख.)एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद के न्यायालय में विचाराधीन वाद 8/2010 के निर्णय तक स्थगित की जाती है। न्यायहित में विवादित आराजियात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है । पक्षकारान द्वारा सिविल न्यायालय में निर्णय होने के उपरांत निर्णय की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर अपील पत्रावली पुनः नंबर पर ली जावे । तद्नुसार पत्रावली निर्णित की जाती है । आदेश आज दिनांक को 1.5.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/5/2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर